

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

.....उदयगाम बनाम.....श्री. देवप्रसाद.....

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 270/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|-------------|---|
| 03/06/24 | <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री <u>उदयगाम - किशनगाम चित्त मूलचण्डी धाकड</u> <u>जगन्नाथ - मोहन चित्त देवचण्डी धाकड, शम्भुगाम</u> पिता श्री <u>गान्धुगाम जी धाकड</u> निवासी <u>गावडी की शोरडी</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>गिलुड</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>4219/762, 765, 4920/766, 4442/769, 766, 770, 761, 762, 764, 769, 767</u> <u>0.33, 0.44, 0.07, 0.24, 0.35, 0.49, 0.58, 0.07, 0.49, 0.24, 0.03</u></p> <p>कुल कीता <u>11</u> कुल रकबा <u>3.3200</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>गिलुड (तह चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>4219/762, 765, 4920/766, 4442/769, 766, 770, 761, 762, 764, 769, 767</u> <u>0.33, 0.44, 0.07, 0.24, 0.35, 0.49, 0.58, 0.07, 0.49, 0.24, 0.03</u></p> <p>कुल कीता <u>11</u> रकबा <u>3.3200</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000.00</u> रुपये अक्षरे <u>श्री. देवप्रसाद</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(दीन देवल) सहायक कमिश्नर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p> |